SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

प्रकरण संख्या 67/2020 प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 अजमेर में पेश किया गया। यह प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.02.2020 में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षकारों को समझाया एवं साथ रहने हेतु प्रेरित किया जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। उनके दो बच्चे हैं जिनमें एक लड़की 23 वर्ष की है और एक लड़का 20 वर्ष का है, जिन्हें अब माता–पिता का प्रेम व वात्सल्य प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार बिखरता हुआ परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

प्रकरण संख्या 12/2019 प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 अजमेर में पेश किया गया। यह प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.02.2020 में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षकारों को समझाया एवं साथ रहने हेतु प्रेरित किया जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। उनके एक लड़का है जिसे अब माता–पिता का प्रेम व वात्सल्य प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार एक परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

पारिवारिक न्यायालय, भरतपुर में प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.11.2019 को याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम प्रस्तुत की। प्रार्थी एवं अप्रार्थिया का विवाह दिनांक 23.11.2009 को हिन्दू रीति–रिवाज से सम्पन्न हुआ। दिनांक 18.03.2016 को जब प्रार्थी अप्रार्थिया को अपने घर ले जाने के लिए उसके पीहर गया तो अप्रार्थिया ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। इसके पश्चात् से ही दोनों पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। जिससे परेशान होकर प्रार्थी ने दिनांक 21.11.2019 को न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम याचिका प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण हेतु प्री–काउंसलिंग में भी रखा गया एवं दोनों पक्षो के मध्य समझाईश के प्रयास किये गये। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण दिनांक 08.02.2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। काफी प्रयास करने के बाद दोनों साथ रहने को राजी हुए जिनको न्यायालय में माला पहनाकर पुनः साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी –खुशी घर भेजा गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.02.2020 में उक्त प्रकरण का राजीनामा करवाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

यह प्रकरण पारिवारिक न्यायालय, बारां में भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु पेश हुआ। इस प्रकरण में पति और पत्नि विगत 08 वर्षों से अलग रह रहे थे। पत्नि ने स्वयं के लिए तथा उनके दोनों बच्चों के लिए भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाया जिस पर पारिवारिक न्यायालय द्वारा भरण–पोषण की राशि स्वीकृत की गयी। पीड़िता किसी प्रकार घरेलु कार्य करके अपना और अपने बच्चों का भरण–पोषण कर रही थी तथा आर्थिक तौर पर टूट चुकी थी। पारिवारिक न्यायालय द्वारा बार–बार वसूली वारण्ट जारी करने पर भी भरण–पोषण की राशि पीड़िता को प्राप्त नहीं हो पाई। न्यायालय द्वारा सख्ती करने पर तथा वसूली वारण्ट जारी किये जाने पर पीड़िता पत्नि का पति न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा न्यायालय द्वारा भरण–पोषण की राशि के ऐरियर का तुरन्त भुगतान नहीं किये जाने की दशा में पीड़िता के पति को सिविल जेल भेजने की हिदायत दी गयी। पीड़िता पत्नि द्वारा अपने पति को जेल जाते हुए देखना बर्दाश्त नहीं हुआ और पीड़िता पत्नि ने श्रीमान् न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय, बारां से निवेदन किया कि वह अपने पति को केवल पैसे के लिए जेल जाते हुए नहीं देख सकती। उनके दोनों बच्चे, जिनकी आयु 12 से 15 वर्ष थी, न्यायालय में ही रोने लग गये जिस पर पीड़िता पत्नि भी रोने लग गयी। इस पर पारिवारिक न्यायाधीश महोदय ने अप्रार्थी पति को समझाया कि वह अपनी पत्नि और बच्चों के साथ रहे। उक्त प्रकरण दिनांक 08.02.2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। काफी प्रयास करने के बाद दोनों साथ रहने को राजी हुए एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 08 वर्षों से अलग–अलग रह रहे पति–पत्नि को साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी–खुशी घर भेजा गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.02.2020 में उक्त प्रकरण का राजीनामा करवाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर में दिनांक 08.02.2020 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य एक किरायेदारी परिसर को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के संबंध में मकान मालिक/वादी पक्ष द्वारा वर्ष 1990 में एक दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लगभग 30 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण का दिनांक 08.02.2020 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

प्रकरण संख्या 138/2018, अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, राजगढ–1 जिला चूरू में पेश हुआ। यह प्रकरण दिनांक 08.02.2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। उल्लेखनीय है कि दंपति के 04 बच्चे हैं जिनके उज्ज्वल भविष्य के बारे में समझाया। काफी प्रयास करने के बाद दोनों साथ रहने को राजी हुए जिनको न्यायालय में माला पहनाकर पुनः साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी–खुशी घर भेजा गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.02.2020 में उक्त प्रकरण का राजीनामा करवाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

प्रकरण संख्या 84/2018 वादी द्वारा अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या 01, जयपुर जिला में प्रस्तुत किया गया। वादी के माता–पिता (प्रतिवादी) द्वारा अपने पुत्र (वादी) व बहु के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष वृद्ध माता पिता का संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी के द्वारा वादी को अपने परिवार सहित विवादित मकान, जो कि माता के नाम से है, से बेदखल करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति रोकते हुए माता पिता को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये। तत्पश्चात् वादी के द्वारा उक्त सम्पत्ति को लेकर न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में वादी के द्वारा अपने माता–पिता व अन्य भाईयों के विरूद्ध उक्त वाद यह कहते हुए प्रस्तुत किया था कि विवादित मकान, जो कि वादी की माता अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है, को संयुक्त परिवार की आय से खरीदा गया था जिसमें वादी के द्वारा भी अपनी जमा पूंजी खर्च की गई तथा पक्षकारों के मध्य हुए पारिवारिक बंटबारानामा की शर्तों का पालन नहीं करते हुए प्रतिवादीगण वादी को उक्त मकान के बेदखल करने पर आमादा है। अतः उसे उक्त मकान से बेदखल नहीं किया जावे। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (माता–पिता) के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर पारिवारिक बंटवारेनामे को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने व वादी को बेदखल करने का कथन किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण को दिनांक 08.02.2020 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध किया गया। जिसमें प्री–काउंसलिंग करवाई गयी एवं पक्षकारान् के मध्य समझाईश करवायी गयी। काफी बार प्रयास करने के बाद दोनों पक्ष आपसी कटुता एवं मन मुटाव को भुलाकर राजीनामा हेतु सहमत हुए। इस प्रकार प्री–काउंसलिंग एवं आपसी समझाईश से उक्त प्रकरण का निस्तारण हुआ तथा माता–पिता एवं पुत्रों के विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवाद का हमेशा के लिए अन्त भी हो गया एवं पक्षकारान् समय एवं धन की अनावश्यक बर्बादी से भी बच गए।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

पारिवारिक न्यायालय प्रथम, जोधपुर महानगर में प्रकरण संख्या 64/2020 में प्रार्थी द्वारा दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु अन्तर्गत धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम याचिका प्रस्तुत की। प्रार्थी एवं अप्रार्थिया का विवाह दिनांक 20.02.2018 को हिन्दू रीति–रिवाज से सम्पन्न हुआ। शादी के 15 दिन बाद ही अप्रार्थिया के परिवारवाले अप्रार्थिया को अपने पीहर ले गये। इसके 15–20 दिन बाद जब प्रार्थी अप्रार्थिया को अपने घर ले जाने के लिए उसके पीहर गया तो अप्रार्थिया के परिवारवालों ने उसके साथ भेजने से मना कर दिया। उसके बाद प्रार्थी के परिवारवालों के प्रयास पर अप्रार्थिया ससुराल में रहने आ गयी। दिनांक 11.12.2018 को अप्रार्थिया का पिता व मामा प्रार्थी के घर आये एवं अप्रार्थिया को 10–15 दिन के लिए पीहर भेजने का कहकर ले गये उनके साथ ही अप्रार्थिया अपने साथ सारा स्त्रीधन लेकर अपने पीहर चली गयी। प्रार्थी के घर में पारिवारिक कार्यक्रम होने से प्रार्थी दिनांक 15.07.2019 को अप्रार्थिया को लेने गया परंतु प्रार्थिया ने आने से इंकार कर दिया। इसके पश्चात् से ही अप्रार्थिया अपने पीहर में ही रहने लगी। जिससे परेशान होकर प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु अन्तर्गत धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम याचिका प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण हेतु दोनों पक्षो के मध्य समझाईश के प्रयास किये गये। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण को दिनांक 08.02.2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। काफी प्रयास करने के बाद दोनों साथ रहने को राजी हुए जिनको न्यायालय में माला पहनाकर पुनः साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी–खुशी घर भेजा गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.02.2020 में उक्त प्रकरण का राजीनामा करवाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

प्रकरण संख्या 72/2019 प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालय, प्रतापगढ़ में दिनांक 07.09.2019 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थिया का विवाह 08. 02.2013 को सम्पन्न हुआ। विवाह पश्चात् पक्षकारान् के दो पुत्रों का जन्म हुआ। कुछ समय बाद अप्रार्थिया बिना बताये अपने पीहर चली गयी। प्रार्थी दोनों पुत्रों का पालन–पोषण स्वयं करता रहा। प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारवालों के काफी समझाने के बाद भी अप्रार्थिया लौटकर नहीं आयी। उक्त प्रकरण दिनांक 08.02.2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। उनके दोनो पुत्रों को अब माता–पिता का प्रेम व वात्सल्य प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार एक परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

प्रकरण संख्या 89/2019 प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालय, प्रतापगढ़ में दिनांक 06.11.2019 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थिया का विवाह 25 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था। विवाह पश्चात् पक्षकारान् के तीन लड़कियां एवं एक लड़के का जन्म हुआ। तत्पश्चात् दो लड़कियों की शादी हो गयी। इसके कुछ समय बाद प्राथी एवं अप्रार्थिया के मध्य छोटी–मोटी बातों पर विवाद हो गया और अप्रार्थिया बिना बताये अपने पीहर चली गयी। उक्त प्रकरण दिनांक 08.02.2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। इस प्रकार पति–पत्नि के बीच के विवाद का बहुत ही सरल तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अंत किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

पारिवारिक न्यायालय, राजसमन्द में प्रकरण संख्या 63/2019 में प्रार्थी द्वारा दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु अन्तर्गत धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम याचिका प्रस्तुत की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया के विरूद्ध दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की डिक्री दिनांक 01.11.2019 को पारित की गई तथा अप्रार्थिया को आदेशित किया गया कि वह प्रार्थी के साथ निवास करते हुए दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करे एवं प्रार्थी को भी आदेशित किया गया कि वह अप्रार्थिया के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए अपने दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करे परन्तु अप्रार्थिया द्वारा न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रार्थी के साथ दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन नहीं किया गया। इस प्रकरण की परिस्थितियां इस प्रकार भी अलग थी कि प्रकरण के पक्षकारान् अत्यधिक कम उम्र के थे एवं विवाह के शीघ्र उपरांत उनके मध्य मतभेद उत्पन्न हो गये थे। अप्रार्थिया द्वारा दाम्पत्य संबंधों को महत्व नहीं दिया जा रहा था, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा पारित डिक्री की पालना हेतु निष्पादन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थिया को डिक्री की पालना हेतु निर्देशित किए जाने का निवेदन किया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 63/2019 हकरसी दीवानी दर्ज किया गया एवं अप्रार्थिया को तलब किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण को दिनांक 08.02.2020 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध किया गया। जिसमें प्री–काउंसलिंग करवाई गयी एवं पक्षकारान् के मध्य समझाईश करवायी गयी। काफी बार प्रयास करने के बाद दोनों पक्ष आपसी कटुता एवं मन मुटाव को भुलाकर राजीनामा हेतु सहमत हुए। इस प्रकार प्री–काउंसलिंग एवं आपसी समझाईश से उक्त प्रकरण का निस्तारण हुआ तथा पति–पत्नि के विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान हुआ एवं बिखरता हुआ परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

प्रकरण संख्या एचएमए 1/2018 प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया के विरूद्ध अपनी अवयस्क पुत्री की अभिरक्षा दिये जाने हेतु न्यायालय, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर सिटी में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्राथी एवं अप्रार्थिया का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 21.05.2005 को अत्यन्त साधारण तरीके से सम्पन्न हुआ था। तत्पश्चात् उनके एक पुत्री का जन्म 19.03.2006 एवं एक पुत्र का जन्म 31.01.2010 को हुआ। दिनांक 12.10.2016 से पुत्री अप्रार्थिया के साथ एवं पुत्र प्रार्थी व प्रार्थी की दादी के साथ रह रहे थे। उक्त प्रकरण में पुत्र अप्रार्थिया के साथ रहना पसन्द नहीं करता था परंतु अपनी बहन को साथ रखना चाहता था जिसके लिए स्वयं ने प्रार्थी के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी बहन को साथ रखने के लिए मार्मिक अपील की। इसी प्रकार पुत्री अप्रार्थिया के बिना प्रार्थी के साथ नहीं रहना चाहती थी। प्रार्थी भी केवल पुत्री की अभिरक्षा ही चाहता था एवं तलाक याचिका वापिस लेना नहीं चाहता था। प्रकरण में लगातार प्री–काउंसलिंग की गयी एवं पक्षकारान् को अपने बच्चों के अच्छे भविष्य एवं खुशहाल जीवन के लिए समझाया गया। इसके फलस्वरूप अप्रार्थिया ने पुत्री को उसके भाई के साथ एक स्कूल में पढ़ाने की सहमति दी तथा प्रार्थी ने पुत्री के स्कूल में दाखिले का खर्च स्वयं उठाया। प्री–काउंसलिंग के फलस्वरूप प्रार्थी ने अपने निवास के पास ही अपने खर्चे पर सुविधाजनक किराये का घर अप्रार्थिया एवं बच्चों के लिए लेने की सहमति इस सुझाव पर दी कि प्रथम 7 दिवस दोनों बच्चे प्रार्थी के पास एवं दूसरे 7 दिवस बच्चे अप्रार्थिया के साथ रहेंगे एवं साथ में पढ़ेगें। प्री–काउंसलिंग के दौरान की गयी समझाईश से ही प्रार्थी ने अप्रार्थिया की भरण–पोषण की राशि बढ़ाकर 15000 रूपये प्रतिमाह दिये जाने की सहमति दी। उक्त प्रकरण में प्री–काउंसलिंग से किसी प्रकार दोनों बच्चों को माता–पिता व माता–पिता को दी एक व्यवस्था के तहत साथ रहने हेतु राजी किया गया एवं दोनों बच्चों को माता–पिता व भाई–बहनों को आपस में एक दूसरे का साथ व प्यार मिला। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री–काउंसलिंग एवं राजीनामें के माध्यम से बहुत ही संवेदनशील प्रकरण का अंत हुआ।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.02.2020

पारिवारिक न्यायालय, सीकर में प्रार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 294/2018 तलाक याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण में पति पत्नि के मध्य गंभीर विवाद था, यही नहीं उनके परिजनों के मध्य भी गंभीर वैचारिक मतभेद थे। इस कारण कई बार दोनो पक्षों में मारपीट भी हो चुकी थी। दोनो पति पत्नि दो वर्ष से अलग अलग रह रहे थे। पति भारतीय सेवा में सेवारत था। पत्नि अपने मूल ससुराल/सीकर शहर एवं पति के नियुक्ति शहर में रहना नहीं चाहती थी। उक्त प्रकरण में कई बार प्री–काउंसलिंग की गयी तथा अप्रार्थिया के परिजनों से भी बात की गयी। इस पर अप्रार्थिया के ताऊजी ने पति–पत्नि के रिश्ते को वापिस जुड़वाने की इच्छा जाहिर की। इस पर प्रार्थी व अप्रार्थिया के बीच लगातार मध्यस्थता एवं समझाईश करवायी गयी।

उक्त प्रकरण दिनांक 08.02.2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। काफी प्रयास करने के बाद दोनों ने अपना तलाक का मुकदमा खारिज करवाने का निर्णय लिए एवं साथ रहने को राजी हुए जिनको न्यायालय में माला पहनाकर पुनः साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी–खुशी घर भेजा गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.02.2020 में उक्त प्रकरण का राजीनामा करवाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।